17/10/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रार्थना पत्र 212 RTA व दिनांक 27/08/2024 को जारी स्थगन निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया। नम्बर से कम हो। GCMS 2024/4955

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर .

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 212/24 **दायर दिनांकः– 27–08–2024**

GCMS:- 2024/495

सचिन नाथ पुत्र श्री गोकलनाथ जाति सपेरा निवासी झूरियावाली चक हाल आबाद रोही ताखरावाली तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––––– प्रार्थी

बनाम

1–महेन्द्र नाथ पुत्र श्री चांदीनाथ
2– जलनधर नाथ पुत्र श्री कुण्डानाथ } जाति सपेरा साकिन रंगमहल तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ
4– श्रीमान उप पंजीयक महोदय सूरतगढ / राजियासर

(मोहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ)

––––– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिकारी 1955

उपस्थित :–

1– श्री सुभाष देहडू. अभिभाषक प्रार्थी।

2– श्री राजवीर भादू अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 17/10/2024

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण प्रार्थी , अप्रार्थी नं0 1 उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी न0 1 के नाम से कृषि भूमि वाके रोही ताखरावाली के खाता सं0 69/1 के खसरा न0 188/43 में 6.325 है0 बारानी, खसरा न0 190/45 में 6.325 है0 बारानी कुल 12.650 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । अप्रार्थी न0 1 ने अपनी कृषि भूमि तहसील सूरतगढ की रोही ताखरावाली के खाता सं0 69/1 के खसरा न0 45/1 वर्तमान खसरा न0 190/45 की 10–00बीघा बारानी भूमि को अप्रार्थी न0 2 को जरिये इकरारनांमा दिनांक 08–03–2005 को बेचान करके प्रतिफल स्वयं 30,000/–रूपये प्राप्त करके कब्जा लिखित इकरार व शपथ–पत्र में अप्रार्थी न0 1 ने अप्रार्थी न0 2 को सौप दिया था व अप्रार्थी न0 02 अपने जरिये इकरारनांमा खरीद शुदा भूमि को जरिये इकरारनांमा दिनांक 06–09–2016 को बेचान कर जरिये इकरार लिखित प्रार्थी को कब्जा सौप दिया है । जैरवाद रकबा के भाव बढ जाने तथा प्रार्थी के द्वारा रकबा सुधार किये जाने के कारण अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ गई है तथा उक्त जैरवाद रकबा अन्य लोगो के बेचने पर उतारू है । प्रार्थी का जरिये इकरारनामा जो भूमि दी गई है उस भूमि पर अप्रार्थी न0 2 का कब्जा कास्त नही है । प्रार्थी जरिये इकरारनामा की दिनाक से कास्त करता आ रहा है । अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थी को तथाकथित बैयनांमा के आधार पर जैर प्रकरण रकबा से बेदखल करने पर उतारू है । जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई होनी बड़ी मुश्किल होगी । अगर अप्रार्थी सं0 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा वाद–पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए प्रार्थी वाके रोही ताखरावाली के खाता सं0 69/1 के खसरा न0 45/1 वर्तमान खसरा न0 190/45 की [illegible]घा बारानी भूमि का मौका व रिकार्ड यथावत बनाये रखने एव रहन बेचान [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 जरिये अभिभाषक हाजिर हुआ तथा प्रार्थना-पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया अप्रार्थी न0 1 के नाम से कृषि भूमि वाके रोही ताखरावाली के खाता सं0 69/1 के खसरा न0 188/43 में 6.325 है0 बारानी, खसरा न0 190/45 में 6.325 है0 बारानी कुल 12.650 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । अप्रार्थी न0 1 ने अपनी कृषि भूमि तहसील सूरतगढ की रोही ताखरावाली के खाता सं0 69/1 के खसरा न0 45/1 वर्तमान खसरा न0 190/45 की 10-00बीघा बारानी भूमि को अप्रार्थी न0 2 को जरिये इकरारनांमा दिनांक 08-03-2005 को बेचान करके प्रतिफल स्वयं 30,000/-रूपये प्राप्त करके कब्जा लिखित इकरार व शपथ-पत्र में अप्रार्थी न0 1 ने अप्रार्थी न0 2 को सौप दिया था व अप्रार्थी न0 02 अपने जरिये इकरारनांमा खरीद शुदा भूमि को जरिये इकरारनांमा दिनांक 06-09-2016 को बेचान कर जरिये इकरार लिखित प्रार्थी को कब्जा सौप दिया है । जैरवाद रकबा के भाव बढ जाने तथा प्रार्थी के द्वारा रकबा सुधार किये जाने के कारण अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ गई है तथा उक्त जैरवाद रकबा अन्य लोगो के बेचने पर उतारू है। प्रार्थी का जरिये इकरारनामा जो भूमि दी गई है उस भूमि पर अप्रार्थी न0 2 का कब्जा कास्त नही है। प्रार्थी जरिये इकरारनामा की दिनाक से कास्त करता आ रहा है । अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थी को तथाकथित बैयनांमा के आधार पर जैर प्रकरण रकबा से बेदखल करने पर उतारू है । जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई होनी बड़ी मुश्किल होगी। अगर अप्रार्थी सं0 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा वाद-पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए प्रार्थी वाके रोही ताखरावाली के खाता सं0 69/1 के खसरा न0 45/1 वर्तमान खसरा न0 190/45 की 10-00बीघा बारानी भूमि का मौका व रिकार्ड यथावत बनाये रखने एव रहन बेचान न करने का वाद-पत्र के निर्णय तक निषेधाज्ञा को यथावत रखने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी नं0 1 के अभिभाषक ने जबाब प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी न0 1 के नाम रोही ताखरावाली के खाता सं0 69/1 के खसरा न0 188/43 में 6.325 है0 बारानी व खसरा न0 190/45 में 6.325 है0 कुल 12.650 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है अप्रार्थी न0 1 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का इकरारनांमा अप्रार्थी न0 2 को कभी भी नही करवाया गया तथा उक्त दस्तावेज तथाकथित दस्तावेज है। जो पूर्णरूप से दस्तावेजो से ही स्पष्ट हो जाता है । जबकि प्रार्थी को अप्रार्थी न0 2 जलन्धरनाथ पुत्र कुण्डानाथ से इकरारनांमा दिनांक 06-09-2016 बताया गया है जिसमें अप्रार्थी न0 2 जलन्धरनाथ ने 45/1 की 10-00बीघा बारानी सक्षम अधिकारी द्वारा टी सी आवटन भूमि का इकरारनामा करवाना बताया गया है। उक्त इकरारनांमा के आधार पर प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी न0 1 की खातेदारी भूमि पर मिथ्या कथनो के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है । अप्रार्थी न0 1 वाके रोही ताखरावाली के खाता सं0 69/1 के खसरा न0 188/43 में 6.325 है0 व खसरा न0 190/45 में 6.325 है0 कुल 12.650 है0 बारानी खातेदारी भूमि आवटन से लेकर आज तक काबिज कब्जा कास्त चला आ रहा है। प्रार्थी भु-माफिया गिरोह का सदस्य है जो जबरन तथाकथित दस्तावैजो के आधार पर अप्रार्थी न0 1 की भूमि को हड़फने पर प्रयासरत है। जबकि प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का कोई भी इकरारनांमा अप्रार्थी न0 2 के द्वारा करवाया गया है तो उक्त वाद सिविल नेचर का है जिस पर राजस्व न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)